सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलेक्टर ब्यावर (अजमेर)
पीठासीन अधिकारीः— श्री सुरेश चौधरी (आर0ए0एस0)
राजस्व वाद संख्या 101/2012

1— श्रीमति जमीरा बैवा श्री अकबर उम्र 72
2— श्री भवरू उम्र 57 वर्ष पुत्र स्व0 श्री अकबर
3— श्री मोटा उम्र 53 वर्ष पुत्र स्व0 श्री अकबर
4— श्री कूका उम्र 52 वर्ष पुत्र स्व0 श्री अकबर
5— श्री ईस्माईल उम्र 51 वर्ष पुत्र स्व0 श्री अकबर
6— श्री रहमान उम्र 50 वर्ष पुत्र स्व0 श्री अकबर
7— श्री हासन उम्र 49 वर्ष पुत्र स्व0 श्री अकबर
जाति मेहरात निवासी लसानी प्रथम तहसील ब्यावर

———वादीगण

ब ना म

श्रीमान् तहसीलदार साहब ब्यावर (लैण्ड होल्डर)

————प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एंव धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

निर्णय दिनांक 8/10/18

वादीगण ने अपने वाद पत्र में सारांशतः कथन किया है, कि मौजा लसानी प्रथम तहसील ब्यावर जिला—अजमेर में खसरा नंबर पुराना 468 हाल खसरा नंबर 618/1 रकबा 04—01—10 किस्म बा., खसरा नंबर पुराना 482 हाल खसरा नंबर 634 रकबा 00—01—10 किस्म बा.1, 618/2 रकबा 00—03—00 किस्म चाह कुल रकबा 04—06—00 स्थित है। उक्त वर्णित भूमियां करीमबेग पुत्र श्री न्यामत उर्फ निया बेग ग्राम लसानी प्रथम की खातेदारी काश्तकारी भूमि चली आ रही है। उपरोक्त वर्णित भूमि में से पुराना खसरा नंबर 483 नया नंबर 634 रकबा 01 बिस्वा 10 बिस्वांसी व खसरा नंबर 618/2 रकबा 3 बिस्वा भूमि करीम बेग को अलॉट की जाकर उसके खाते में नियमन किया गया था। उपरोक्त वर्णित भूमि श्री करीम बेग ने वादीगण के पिता व पति श्री अकबर पुत्र अहमद को बजरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 20.3.1974 के द्वारा खरीद कर ली तब से उक्त भूमि अकबर के कब्जे मालिकाना में चली आ रही है। अकबर पुत्र अहमद का स्वर्गवास दिनांक 15.9.2011 को हो चुका है, श्री अकबर के स्वर्गवास के बाद वादीगण की उसके उत्तराधिकारीगण है, उसके अलावा कोई उत्तराधिकारीगण श्री अकबर के नही है। श्री करीमा बेग उर्फ निया उर्फ न्यामत बेग का स्वर्गवास दिनांक 20.4.2184 को चुका है, उसके वारीसान जीवित अथवा मृत नही है। करीम बेग के द्वारा उपरोक्त वर्णित भूमि के बेचान के बाद भूमि खसरा नंबर पुराना 468 हाल खसरा नंबर 618/1 रकबा 04—01—10 तो श्री अकबर पुत्र श्री अहमद के नाम दर्ज कर दी गई लेकिन खसरा नुबर पुराना 482 नया खसरा नंबर 618/2 रकबा 3 बिस्वा का नामान्तकरण सहवन से होना रह गया और अभी भी श्री करीम बेग पुत्र निया उर्फ न्यामत बेग के नाम ही चली आ रही है। उक्त खसरा नंबर

.....लगातार

(सुरेश चौधरी)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर, ब्यावर

618/2 पर खरीद से कब्जा अकबर का था और उसके मरने के बाद वादीगण का कब्जा चला आ रहा है, करीम बेग अथवा किसी अन्य का कब्जा नही रहा है। वादीगण को इसकी जानकारी उसके पिता व पति के स्वर्गवास होने के पश्चात ज बवह फोती दाखिल खारीज करवाने के लिये हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तो जानकारी हुई जिस पर वादीगण ने श्री करीम बेग के बारे में जानकारी की तो यह जानकारी में आया कि करीम बेग का स्वर्गवास काफी वर्ष पूर्व ही हो चुका है, और उसके कोई भी उत्तराधिकारीगण जीवित अथवा मृत नहीं है, इसलिये उक्त खसरा नंबर 618/2 का नामान्तकरण वादीगण के हक में नही किया जा सकता है। तब वादीगण ने दिनांक 15.12.2011 को राजस्व रेकार्ड की नकले ली। तथा वादीगण को दिनांक 01.05.2012 को जानकारी में आया कि विवादित भूमि को कोई अन्य व्यक्ति अपने नाम करवाकर बेचान करना चाहता जिसका कि किसी भी व्यक्ति को कोई हक हिस्सा व अधिकार नही है। और उक्त दिवस को दो व्यक्ति मौके पर आकर जमीन देखने लगे जिससे उनकी बद्धनियती की जानकारी हुई इसलिये वाद की आवश्यकता हुई अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है, कि वादीगण को विवादित भूमि खसरा नंबर 618/2 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से मुमानियत किया जावे कि वादीगण के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के नाम दाखिल खारीज नही खोले तथा खसरा नंबर 618/1 रकबा 04–01–10 किस्म चाही तथा खसरा नंबर 618/2 रकबा 3 बिस्वा की किस्म चाह जमाबंदी में किस्म परिवर्तन की जाकर दुरूस्ती फरमाई जावे तथा खर्चा दिलाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण की और से जवाब प्रस्तुत कर वादीगण द्वारा प्रस्तुत का स्वंय सिद्ध करने का कथन किया तथा स्वीकार योग्य नहीं होना अंकित किया।

प्रकरण में अनुतोष सहित 4 तनकीयात कायम की गई

तनकी नंबर 1 :– आया वाद पत्र में वर्णित मौजा लसानी प्रथम पटवार हल्का लसाडिया में स्थित वादग्रस्त खसरा नंबर 618/2 रकबा 00–03–00 जो कि साबिक खसरा नंबर 482 से बना है, में वादीगण के पिता ने जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 20.3.1974 से क्रय किये जाने एंव काबिज काश्त होने से वादीगण स्वंय को खातेदार काश्तकार घोषित करवाने तथा तदनुरूप रेकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है, तथा प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा मुमानियत किया जावे कि भूमि खसरा नंबर 618/2 को वादीगण के अलावा अन्य किसी व्यक्ति के नाम दाखिल खारीज नही करे?

तनकी नंबर :–2 आया वादग्रस्त भूमि साबिक खसरा नंबर 468 जिसके नये नंबर 618/1 रकबा 04–01–10 में तीन फसले होती आ रही है, जिससे उसकी किस्म चाही तथा खसरा नंबर 618/2 रकबा 00–03–00 की किस्म चाह है तदनुरूप राजस्व रेकार्ड में उक्तानुसार भूमि की किस्म परिवर्तन की जाकर दुरूस्ती करवाये जाने के अधिकारी है?

.....लगातार

(सुरेश चौधरी)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

तनकी नंबर :– 3 आया वाद पत्र में वर्णित पद संख्या (क), (ख), (ग) व (घ) द्वारा वादी की प्रार्थना स्वीकार योग्य नही है?

तनकी नंबर :–4 अनुतोष?

प्रकरण में शहादत वादी तलब की गई। शहादत वादी में मोटा पुत्र स्व0 अकबर जाति मेहरात निवासी लसानी प्रथम तहसील ब्यावर एंव गवाह श्री पूनाराम पुत्र बादर मेहरात निवासी लसानी प्रथम तहसील ब्यावर एंव गवाह सुलेमान पुत्र अलादीन जाति मेहरात निवासी लसानी प्रथम तहसील ब्यावर ने अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 जाब्ता दीवानी के तहत प्रस्तुत कर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के कथनो का समावेश किया। साक्ष्य प्रतिवादी में पैरोकार सरकार ने सीधे बहस करने का निवेदन किया।

प्रकरण बहस अंतिम में वादीगण के अधिवक्ता ने अपने वाद पत्र व साक्ष्य एंव दस्तावेजो का कथन करते हुये वादीगण का वाद स्वीकार करने का कथन किया।

प्रकरण में कायम तनकियात निम्नप्रकार से तय कि जाती है।

तनकी नंबर 1 :– इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है, वादीगण ने अपने वाद पत्र में उक्त विवादित भूमि सहित अन्य भूमि को श्री करीम बेग से जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 20.3.1974 के जरिये वादीगण पिता व पति अकबर द्वारा खरीदने का कथन किया है, और विवादित भूमि का अपने नाम नामान्तकरण नही होने का कथन करते हुये खातेदारी की घोषणा का अनुतोष चाहने का कथन किया है, जिसके समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श–1 रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 20.3.1974 के द्वारा श्री करीम बेग पुत्र श्री न्यात बेग जाति मुसलमान निवासी लसानी प्रथम तहसील ब्यावर द्वारा साबिक खसरा नंबर 468 हाल खसरा नंबर 618 रकबा 04–04–10 किस्म बा01 एंव साबिक खसरा नंबर 482 हाल खसरा नंबर 634 रकबा 00–01–10 किस्म चाह को श्री अकबर पुत्र अहमद जी जाति मेहरात निवासी लसानी प्रथम को बेचान किया जाना पाया गया। प्रदर्श–2 मृत्यु प्रमाण के द्वारा करीमा पुत्र निया का स्वर्गवास दिनांक 20.4.1984 को होना अंकित गया है। प्रदर्श–3 मिलानक्षैत्रफल के अनुसार साबिक खसरा नंबर 468 का हाल खसरा नंबर 618 एंव साबिक खसरा नंबर 482 रकबा 30 बीघा 3 बिस्वा हाल खसरा नंबर 634 रकबा 1 बिस्वा 10 बिस्वांसी एंव 618 रकबा 3 बिस्वा आंशिक होना दर्ज पाया गया। प्रदर्श–4 राजस्व नक्शा ट्रेस एंव प्रदर्श–5 नामान्तकरण संख्या 48 में साबिक खसरा नंबर 482 हाल खसरा नंबर 618 रकबा 3 बिस्वा करीम बेग पुत्र नियामत बेग जाति मुसलमान गैर खातेदार स्वीकार दर्ज होना पाया गया। प्रदर्श–6 जमाबंदी संवत 2025 से 2028 में खसरा नंबर 482/1 सिवायचक खाते में दर्ज होना पाया गया। प्रदर्श–7 जमाबंदी संवत 2025 से 2028 में खसरा नंबर 482/2 सिवायचक एंव पानी के नीचे डूब हुये दर्ज होना पाया गया। प्रदर्श–8 जमाबंदी संवत 2041 हाल खसरा नंबर 618/2 के सामने जरिये नामान्तकरण संख्या 48 से नियमन एंव खसरा नंबर 634 नामान्तकरण संख्या 42 से नियमन दर्ज होना पाया गया। प्रदर्श–9, प्रदर्श–11, प्रदर्श–14, प्रदर्श–17, प्रदर्श–20, प्रदर्श–24 में खसरा नंबर 618/1 अकबर पुत्र अहमद कौम मेरात के नाम

.....लगातार

(सुरेश चौधरी)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

दर्ज होना पाया गया। प्रदर्श–10 जमाबंदी संवत 2025 से 2028 में खसरा नंबर 468 न्यामत बेग पुत्र आलमबेग खुदकाश्त मालिक दर्ज होना पाया गया। प्रदर्श–12, प्रदर्श–15, प्रदर्श–18, प्रदर्श–21 में अकबर, सायर, नीरा, भोमा व बाबू पिसरान अहमद कौम मेरात साकिन देह गेरखातेदार दर्ज होना पाया गया। प्रदर्श–13, प्रदर्श–16, प्रदर्श–19, प्रदर्श–22 में खसरा नंबर 618/2 करीमबेग पुत्र नियामत बेग कौम मुसलमान साकिन देह गैरखातेदार दर्ज होना पाया गया। प्रदर्श–23 जमाबंदी के खाता संख्या 5 में अकबर, सायर, नीरा, भोमा व बाबू पिसरान अहमद कौम मेरात साकिन देह खातेदार दर्ज होना पाया गया। प्रदर्श–25 जमाबंदी संवत 2055 से 2058 में खसरा नंबर 618/2 करीमबेग पुत्र नियामत बेग कौम मुसलमान साकिन देह खातेदार दर्ज होना पाया गया। प्रदर्श–26 जमाबंदी संवत 2059 से 2062 के खाता संख्या 5 के अनुसार अकबर, सायर, नीरा, भोमा, बाबू पिसरान अहमद जाति मेरात एंव जरिये नामान्तकरण संख्या 203 एंव नामान्तकरण संख्या 266 के अनुसार खातेदार के नाम दर्ज होना पाया गया। प्रदर्श–27 जमाबंदी संवत 2059 से 2062 में खसरा नंबर 618/2 करीमबेग पुत्र नियामत बेग कौम मुसलमान साकिन देह खातेदार दर्ज होना पाया गया। उक्त रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 20.3.1974 का वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उसमें साबिक खसरा नंबर 468 रकबा 04–01–10 हाल खसरा नंबर 618 रकबा 04–04–10 एंव 482 हाल खसरा नंबर 634 रकबा 00–01–10 उक्त बेचाननामे में साबिक खसरा नंबर 468 कर रकबा 04–01–10 ही बेचान किया जाना पाया जाता है, जबकि साबिक खसरा नंबर 468 रकबा 04–01–10 भूमि प्रदर्श–10 के अनुसार करीम बेग के पिता न्यामत बेग के नाम दर्ज चली आ रही है। इसलिये करीम बेग द्वारा साबिक खसरा नंबर 468 का रकबा 04–01–10 ही बेचान किया जा सकता था। जबकि प्रदर्श–5 नामान्तकरण के अनुसार खसरा नंबर 618 रकबा 3 बिस्वा भूमि दिनांक 19.5.1984 के द्वारा करीम बेग के नाम गैर खातेदारी में दर्ज किये हेतू स्वीकृत किया गया है। इसलिये खसरा नंबर 618 रकबा 3 बिस्वा की भूमि करीमबेग द्वारा वादीगण के पिता व पति को बेचान किया जाना नही पाया जाता है। एंव **गैर खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 618 रकबा 3 बिस्वा की भूमि करीमबेग द्वारा विधि के प्रावधानो के अनुसार बेचान किया ही नही जा सकता है।** जबकि करीमबेग को खातेदारी खसरा नंबर 618/2 रकबा 3 बिस्वा की प्रदर्श–25 जमाबंदी संवत 2055 से 2058 के अनुसार दर्ज होना पाया गया। ऐसी स्थिति में उक्त विवेचन के आधार पर एंव दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार वादीगण विवादित भूमि खसरा नंबर 618/2 पर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी नही पाये जाते है, इसलिये उक्त तनकी नंबर 1 वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी नंबर :–2 इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण है, वादीगण ने खसरा नंबर 618/1 रकबा 04–01–10 में तीन फसले होने का कथन करते हुये उसकी किस्म चाही दर्ज करने का कथन किया है जबकि उक्त भूमि में तीन फसले होने बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किये। जबकि खसरा नंबर 618/2 के विषय में पूर्ण विवेचन तनकी नंबर 1 में किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार तनकी नंबर 2 वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

.....लगातार

(सुरेश चौधरी)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर ब्यावर

तनकी नंबर :– 3 इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था किन्तु वादीगण अपने वाद पत्र के अनुसार द्वारा तनकी नंबर 1 व 2 को सिद्ध करने में असफल रहे है, इसलिये वादीगण पद संख्या (क), (ख), (ग) व (घ) में वर्णित प्रार्थना स्वीकार योग्य नही पाई जाती है।

तनकी नंबर :–4 अनुतोष?

उक्त विवेचन के अनुसार वादीगण तनकी नंबर 1, 2 व 3 को साबित करने में असफल रहे है इसलिये वादीगण वाद पत्र में किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही पाये जाते है।

अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी स्वीकार योग्य नही पाये जाने से खारिज किया जाता है, खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 8/10/18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चौधरी)
आर०ए०एस०
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन
सहायक कलेक्टर ब्यावर

(सुरेश चौधरी)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर
व अजलाम सुरेश चौधरी आर. ए. एस.
राजस्व वाद संख्या 101/2012

1— श्रीमति जमीरा बैवा श्री अकबर उम्र 72
2— श्री भवरू उम्र 57 वर्ष पुत्र स्व0 श्री अकबर
3— श्री मोटा उम्र 53 वर्ष पुत्र स्व0 श्री अकबर
4— श्री कूका उम्र 52 वर्ष पुत्र स्व0 श्री अकबर
5— श्री ईस्माईल उम्र 51 वर्ष पुत्र स्व0 श्री अकबर
6— श्री रहमान उम्र 50 वर्ष पुत्र स्व0 श्री अकबर
7— श्री हासन उम्र 49 वर्ष पुत्र स्व0 श्री अकबर
जाति मेहरात निवासी लसानी प्रथम तहसील ब्यावर

———वादीगण

ब ना म

श्रीमान् तहसीलदार साहब ब्यावर (लैण्ड होल्डर)

————प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एंव धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू बहाजरी.....मिनजामिन मुददई रूबरू.....मिनजामिन मुददायलह पेश हुक्म दिया जाता है कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी स्वीकार योग्य नही पाये जाने से खारिज किया जाता है, खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

निजी.....मुबलिक.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .....फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाधि तक.....की अदा करें। बहस्ब मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 8-10-18 को जारी किया गया।

(सुरेश चौधरी)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन
सहायक कलेक्टर ब्यावर

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. ..... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

(सुरेश चौधरी)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन
सहायक कलेक्टर ब्यावर